

आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या : 295/2023 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)
आईआईएफएल होम फाईनेन्स लिमिटेड, शाखा : डी/46/बी, नम्बर 307 से 312, एम्ब्रीशन टॉवर, मालन
का चौराहा, सुभाष मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर ।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्री राजकुमार निठारवाल पुत्र श्री बाबूलाल निठारवाल
पता :- प्लेट नम्बर एस 4, किरण अपार्टमेन्ट, खाटू श्याम मन्दिर के पास, रोड नम्बर 5 वि.के.आई.
प्लॉट नम्बर बी-88-89, जयपुर।
एवं यूनिट नम्बर जी-1, ग्राउण्ड फ्लोर, प्लॉट नम्बर 04, स्कीम नम्बर 17, लक्ष्मण रेखा, निवारू रोड,
झोटवाडा, जयपुर।
2. श्री बाबूलाल रामनाथ चौधरी पुत्र श्री मोहन
पता :- यूनिट नम्बर जी-1, ग्राउण्ड फ्लोर, प्लॉट नम्बर 04, स्कीम नम्बर 17, लक्ष्मण रेखा, निवारू
रोड, झोटवाडा, जयपुर।
एवं प्लेट नम्बर एस 4, किरण अपार्टमेन्ट, खाटू श्याम मन्दिर के पास, रोड नम्बर 5 वि.के.आई. प्लॉट
नम्बर बी-88-89, जयपुर।
3. कमला एन्टरप्राईजेज जरिये प्रोपराईटर
पता :- यूनिट नम्बर जी-1, ग्राउण्ड फ्लोर, प्लॉट नम्बर 04, स्कीम नम्बर 17, लक्ष्मण रेखा, निवारू
रोड, झोटवाडा, जयपुर।
एवं प्लेट नम्बर एस 4, किरण अपार्टमेन्ट, खाटू श्याम मन्दिर के पास, रोड नम्बर 5 वि.के.आई. प्लॉट
नम्बर बी-88-89, जयपुर।
एवं 25, जैतपुरी कालोनी, महेश नगर, गांधी नगर, जयपुर।
4. श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री बाबूलाल
पता :- यूनिट नम्बर जी-1, ग्राउण्ड फ्लोर, प्लॉट नम्बर 04, स्कीम नम्बर 17, लक्ष्मण रेखा, निवारू
रोड, झोटवाडा, जयपुर।
एवं प्लेट नम्बर एस 4, किरण अपार्टमेन्ट, खाटू श्याम मन्दिर के पास, रोड नम्बर 5 वि.के.आई. प्लॉट
नम्बर बी-88-89, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of The Securitisation and
Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of
Security Interest Act.2002.

उपस्थित :- श्री प्रदीप राजपुरोहित, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक: 17.03.2023

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक
29.01.2021 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री राजकुमार निठारवाल के
स्वामित्व की सम्पत्ति यूनिट/प्लेट नम्बर जी-1, ग्राउण्ड फ्लोर, श्री बालाजी रेजीडेन्सी-III, प्लॉट

59
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

नम्बर 04, स्कीम नम्बर 17, लक्ष्मण रेखा, नांगल रोड, झोटवाडा, जिला जयपुर क्षेत्रफल 700 वर्गफीट को बन्धक रख कर 15,26,549/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 21.09.2022 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज किया गया। वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
3. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 23 जून 2010 से सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को 15,26,549/- रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 12,69,884/-रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 21.09.2022 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था को बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकार है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। धारा-14 के प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।
5. अतः The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्री राजकुमार निठारवाल के स्वामित्व की सम्पत्ति यूनिट/फ्लेट नम्बर जी-1, ग्राउण्ड फ्लोर, श्री बालाजी रेजीडेन्सी-III, प्लाट नम्बर 04, स्कीम नम्बर 17, लक्ष्मण रेखा, नांगल रोड, झोटवाडा, जिला जयपुर क्षेत्रफल 700 वर्गफीट का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने आदेश दिये जाते हैं।
6. आदेश की प्रति सम्बन्धित पुलिस उपायुक्त/पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) जयपुर को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे।
आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।
आदेश आज दिनांक 17.03.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।



५५
(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर